मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2010

क्र. 7388-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१०

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

भाग—एक

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) में संशोधन.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, शब्द ''नौ हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''नौ हजार'' तथा ''छह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''तेरह हजार'' तथा ''दस हजार'' क्रमश: स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''बारह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''अठारह हजार'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द ''पांच सौ'' के स्थान पर, शब्द ''आठ सौ'' स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) में संशोधन.

धारा ३ का संशोधन. ४. मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द ''नौ हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''नौ हजार'' के स्थान पर, शब्द ''तेरह हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''बारह हजार'' के स्थान पर, शब्द ''अठारह हजार'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द ''पांच सौ'' के स्थान पर, शब्द ''आठ सौ'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा-स्फीति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) में समुचित संशोधन करके मध्यप्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष को देय वेतन और भत्तों में वृद्धि की जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २६ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४ एवं ५ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ७,२०,०००/- (रुपये सात लाख बीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2010—चैत्र 6, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 2064-128-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 14 OF 2010

THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA EVAM NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may called the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksh Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

PART I
Amendment to the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972)

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh **Adhyaksha Tatha Upadhyaksha** (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972). (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand ", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "nine thousand" and "six thousand", the words "thirteen thousand" and "ten thousand" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "twelve thousand", the words "eighteen thousand" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3), for the words "five hundred", the words "eight hundred" shall be substituted;

PART II
Amendment to the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Amendment of Section 3.

4. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980). (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand" the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

5. In Section-4 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "nine thousand" the words "thirteen thousand" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "twelve thousand", the words "eighteen thousand" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3), for the words "five hundred", the words "eight hundred" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to inflation in recent years, it has become necessary to enhance the salary and allowances payable to the Speaker, Deputy Speaker and Neta Pratipaksha of the Madhya Pradesh Legislative Assembly by suitable amendments in the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 26th March, 2010

Dr. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.